संख्या- 192/ 2023/1254/चार-2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभागः   लखनऊः दिनांक 09 मई, 2023

विषयः- सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु कलाकारों को अनुबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं को संरक्षित एवं संवर्धित करने का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। इन लोक कलाओं को प्रदर्शन हेतु विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया जाता है, जिसमें शास्त्रीय गायन/शास्त्रीय वादन/लोक गायन/लोकनृत्य/नाटक/रामलीला/नौटंकी आदि के कलाकारों को अपनी प्रस्तुतियों हेतु आमंत्रित किया जाता है।

2- इन कलाकारों को विभिन्न श्रेणियों के अनुसार संस्कृति विभाग की कलाकार ई-डायरेक्ट्री में पंजीकृत किया गया है। कलाकार पंजीकरण का लिंक निम्नवत् हैः- https://artistdirectoryupculture.com/register जिसे विभाग की वेबसाइट https://upculture.up.nic.in/hi से प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई कलाकार ई-डायरेक्ट्री में पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण के उपरान्त ही उसे कार्यक्रम हेतु अनुबन्धित किया जाये।

3- प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जिला प्रशासन एवं विभाग द्वारा कराये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु ई-डायरेक्ट्री में पंजीकृत कलाकारों को प्राथमिकता देते हुए आमंत्रित कर अनुबन्धित किया जाये।

4- संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या-2769/चार-2022, दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश एवं उसके संबद्ध अन्य संस्थाओं द्वारा देश व प्रदेश में आयोजित एवं प्रायोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों को देय मानदेय एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त शासनादेश के अनुसार ही प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों हेतु कलाकारों को मानदेय एवं सुविधायें प्रदान की जाये।

5- शासकीय विभागों, नगर निगम/नगर विकास विभाग एवं अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जाने वाले सौंदर्यीकरण के कार्यों जैसे- वॉल पेन्टिंग, म्यूरल्स, स्कल्पचर्स, फ्रेस्को, मूर्ति निर्माण आदि से सम्बन्धित कार्यों को उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत् स्वायत्तशासी संस्थान उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी में पंजीकृत कलाकारों के माध्यम से कराये जाने का प्रयास हो ताकि प्रदेश के स्थानीय कलाकारों को रोजगार प्राप्त हो सके एवं उनकी आय में वृद्धि हो। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के कलाकारों द्वारा सृजित पेन्टिग्स को

कार्यालयों की साज-सज्जा के उपयोगार्थ कार्यालय व्यय मद से क्रय किया जा सकता है। ये कलाकृतियां प्रदेश की संस्कृति प्रदर्शित करने के अलावा गुणवत्तापूर्ण एवं कम मूल्य की रखी गई है।

6- संस्कृति विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-3885/चार-04-5(8)/98, दिनांक 18 अगस्त, 2004 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रदेश के कतिपय मेलों/त्योहारों आदि के अवसर पर जनता अथवा विशिष्ट व्यक्तियों के अनुरोध पर विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं/विभागों/जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने की मांग के आधार पर उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा प्रायोजित किये जाने का प्राविधान है। इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले समस्त प्रस्तावों को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से निदेशक, संस्कृति निदेशालय को प्रेषित किये जायें।

7- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार समस्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

संख्या- 192 /2023/1254(1) /चार-2023,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0।
2. निदेशक, संस्कृति/पुरातत्व/संग्रहालय निदेशालय, उ0प्र0।
3. निदेशक, समस्त संस्थान/अकादमी संस्कृति विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

उमा द्विवेदी

(उमा द्विवेदी)
संयुक्त सचिव

General

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या- 3885/चार-04-5(8)/98
लखनऊ: दिनांक 18 अगस्त, 2004

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में कतिपय मेलों/त्योहारों आदि के अवसर पर स्थानीय जनता अथवा विशिष्ट व्यक्तियों के अनुरोध पर विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं/विभागों/जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने की मांग के आधार पर उ.प्र.संस्कृति विभाग द्वारा प्रायोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में शासनादेश सं.- 3209/चार-2001-5(8) 98 दिनांक 27 दिसम्बर, 2001 द्वारा कतिपय मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किये गये थे।

प्रदेश की संस्कृति के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं सांस्कृतिक विरासत को आम जन तक पहुंचाने/ज्ञान कराये जाने की वर्तमान परिवेश में अत्यन्त आवश्यकता है। इसी के दृष्टिगत कलेण्डर वर्ष के अनुसार पूरे कलेण्डर वर्ष में यथावश्यकता संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को कराए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान स्थितियों/परिवेश के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा पूर्व में निर्गत उक्त संदर्भित शासनादेश दि. 27 दिसम्बर, 2001 को अवक्रमित करते हुए संस्कृति विभाग, उ.प्र. द्वारा प्रायोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में निम्नवत मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किये जाते हैं:-

प्रदेश में लगने वाले कतिपय मेलों/त्योहारों आदि के अवसर पर स्थानीय जनता अथवा विशिष्ट/अति विशिष्ट व्यक्तियों के अनुरोध पर विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं/विभागों/जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने की मांग किये जाने पर ऐसे अनुरोध/प्रस्ताव पर तथा संस्कृति विभाग द्वारा कलेण्डर वर्ष हेतु निर्धारित किये गये विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में संस्कृति विभाग, उ.प्र. द्वारा कार्यक्रमों के आयोजन हेतु कलाकारों को निम्नवत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रायोजित किया जायेगा :-

1. (क) यह मार्गदर्शी सिद्धांत संस्कृति विभाग, उ.प्र. द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के संदर्भ में लागू होंगे।
   (ख) इसका अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्कृति निदेशालय को समारोहों/महोत्सवों के आयोजन हेतु आवंटित धनराशि में से विभिन्न महोत्सवों/समारोहों/आयोजित कार्यक्रमों के लिए [illegible] अनुमित धनराशि का कार्यक्रम/समारोह/महोत्सव-वार पृथक-पृथक आवंटन [illegible] संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जायेगा। इस हेतु एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू. 25.00 लाख (रूपये पचीस लाख मात्र) तक की धनराशि व्यय किये जाने हेतु निदेशक, संस्कृति निदेशालय अधिकृत होंगे।
3. संस्कृति विभाग, उ.प्र. द्वारा केवल निम्नलिखित अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम

प्रायोजित किये जायेंगे :-

(क) शासकीय, अर्द्धशासकीय व शासन द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रदेशीय, राष्ट्रीय एवं उच्च स्तर की संगोष्ठियों के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम।

(ख) राष्ट्रीय पर्वो के अवसर पर शासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम।

(ग) प्रदेश के विभिन्न जनपदों एवं अन्य प्रदेशो में जिला प्रशासन एवं शासन द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनियों के अवसर पर संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम।

नोट :- कतिपय अपवादों को छोड़कर कवि सम्मेलन एवं मुशायरा हेतु संस्कृति विभाग द्वारा आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी। इन कार्यक्रमों का आयोजन क्रमशः हिन्दी एवं उर्दू अकादमी द्वारा किया जायेगा।

4.(क) संस्कृति विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में कलाकारों को उनके मानदेय तथा यात्रा किराये आदि का भुगतान संस्कृति विभाग द्वारा सीधे कलाकार को कार्यक्रम प्रस्तुति का प्रमाण पत्र आयोजक संस्था से प्राप्त करने के उपरांत बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा, किन्तु कलाकार के आवास, भोजन तथा कार्यक्रम संबंधी अन्य समस्त व्यवस्थाएं आयोजक-संस्था को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी।

(ख) प्रायोजित कार्यक्रमों हेतु किसी भी गैर सांस्कृतिक संस्था को कोई भी धनराशि सीधे भुगतान नहीं की जायेगी और न ही संस्था सीधे कलाकार को अनुबंधित कर संस्कृति विभाग से कलाकार को भुगतान करने हेतु अनुरोध करेगी।

(ग) किसी भी संस्था को त्योहारों के अवसरों पर कोई कार्यक्रम प्रायोजित करने हेतु कोई सहयोग नहीं किया जायेगा।

(घ) प्रदेश में आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव जैसे आयोजनों में सक्रिय रंग संस्थाओं तथा रंगकर्मियों को ही सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(ड) सहयोग/प्रायोजन हेतु अर्ह सांस्कृतिक संस्थाओं की सूची व कलाकार निर्देशनी के निर्माण हेतु निदेशक, संस्कृति निदेशालय की अध्यक्षता में गठित, निम्नलिखित समिति द्वारा चयन कियाँ जायेगा :-

1. अपर निदेशक,संस्कृति।
2. कुलपति,भातण्डे संगीत संस्थान।
3. सचिव,उ.प्र.संगीत नाटक अकादमी
4. निदेशक,भारतेन्दु नाट्य अकादमी।
5. सचिव,ललित कला अकादमी।
6. सचिव,राष्ट्रीय कथक संस्थान।
7. निदेशक,फोक आर्ट सोसाइटी।
8. निदेशक,दूरदर्शन/अकाशवाणी के प्रतिनिधि।
9. निदेशक,आई.सी.सी.आर.।
10. निदेशक,उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,इलाहाबाद।
11. गीत एवं नाट्य प्रभाग,भारत सरकार केक अधिकारी।
12. गीत एवं नाट्य प्रभाग,सूचना एवं जनसम्पर्क के अधिकारी।

(च) किसी भी कलाकार को एक वित्तीय वर्ष में सामान्यतः तीन बार से अधिक प्रायोजित कार्यक्रमों में अनुबंधित नहीं किया जायेगा, किन्तु मा0 मुख्य मंत्री जी के पूर्व निर्गत आदेशों एवं उनकी पूर्व अनुमति से इसमें विचलन किया जाना अनुमन्य होगा।

(छ) यदि ऐसी सूचना पुष्टि के साथ प्राप्त होती है कि कार्यक्रम अश्लीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है तो ऐसे कलाकार/दलों को प्रतिबंधित कर उनका नाम काली सूची में अंकित किया जायेगा।

(ज) प्रायोजित कार्यक्रमों में स्थल निरीक्षण हेतु यदि विभाग का अधिकारी/कर्मचारी भेजा जाता है तो उन्हें 100/- से 200 के बीच मानदेय प्रदान किया जायेगा, जिसका निर्धारण दूरी तथा समय के आधार पर किया जायेगा।

(झ) ऐसी फिल्मी हस्तियों को जो संस्कृति विभाग के कार्यक्षेत्र से संबंधित न हों उनको दिये जाने वाले अवार्ड से संबंधित कार्यक्रम, जिन्हें प्रदेश की स्वैच्छिक संस्थायें आयोजित करती हैं, हेतु संस्कृति विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया जायेगा।

(द) संस्कृति निदेशालय को समारोहो/महोत्सवों के आयोजन हेतु आवंटित धनराशि में से विभिन्न महोत्सवो/समारोहो/प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए वांछित समुचित धनराशि का कार्यक्रम/समारोह/महोत्सव वार पृथक-पृथक आवंटन निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

(ध) निदेशक, संस्कृति द्वारा एक वर्ष में आवंटित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत किसी कार्यक्रम को प्रायोजित करने हेतु एक बार में रू. 20,000/(रूपया बीस हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति देने हेतु निदेशक, संस्कृति को अधिकृत किया जाता है। इस हेतु शासन की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नही होगी। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम/महोत्सवों, जिन्हें संस्कृति विभाग के दिशा निर्देश के अनुरूप आयोजित किया जाय, कलाकारों के मानदेय, मार्ग व्यय, प्रेक्षागृह किराये आदि के रूप में कुल मिलाकर अधिकतम रूपया 1,00000/- (रूपया एक लाख मात्र) तक ही सहयोग शासन की अनुमति से प्रदान किया जायेगा। यदि इससे अधिक सीमा के कार्यक्रम प्रायोजित किये जाने आवश्यक हों तो उसकी स्वीकृति शासन स्तर से ली जानी आवश्यक होगी।

(न) उक्तानुसार निदेशक, संस्कृति को एक वित्तीय वर्ष में उनके निवर्तन पर प्रायोजित एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के उपयोग हेतु आवंटित धनराशि में से रूपया 25.00 लाख (रूपया पच्चीस लाख मात्र) के अतिरिक्त अवशिष्ट धनराशि का उपयोग यदि कतिपय कारणों से नहीं हो पाता है तो अवशिष्ट धनराशि समय-समय पर निर्धारित किये गये कार्यक्रमों आदि पर आने वाले व्यय के रूप में शासन की अनुमति से निदेशक द्वारा व्यय की जायेगी। साथ ही साथ संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के उपयोग हेतु भी शासन की अनुमति से व्यय की जायेगी।

(य) संस्कृति-विभाग की अधीनस्थ ऐसी संस्थाऐं जो प्रदर्श एवं ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्यरत् हैं के द्वारा कार्यक्रमों के प्रायोजन के प्रस्तावों को संस्कृति निदेशालय द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।

(र) राजभवन, उ.प्र. में राष्ट्रीय पर्वो के अवसर पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर उक्त सिद्धांत/प्रतिबन्ध लागू नही होंगे। ऐसे अवसरों पर राजभवन में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्व की भांति शासन के संस्कृति विभाग द्वारा कराया जायेगा।

रीता सिन्हा
प्रमुख सचिव।

संख्या-3833(1)/चार-04,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र.शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ.प्र.।
4. पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.।
5. प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6. निदेशक, संस्कृति निदेशालय,उ.प्र.जवाहर भवन,लखनऊ।
7. संस्कृति विभाग के अधीन समस्त कार्यालयाध्यक्ष।
8. संस्कृति अनुभाग।
9. गार्ड फाइल हेतु एक प्रति।

आज्ञा से,

(के.के.उपाध्याय)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या- 2769 /चार -2022
लखनऊः दिनांक 27 दिसम्बर ,2022

कार्यालय ज्ञाप

संस्कृति विभाग,उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश एवं उसके संबद्ध अन्य संस्थाओं द्वारा प्रदेश व देश में आयोजित एवं प्रायोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों को देय मानदेय एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में सम्यक विचारोपरांत निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है:-

क्रम सं0	विधा	कलाकार/ दल की श्रेणी	सदस्य संख्या	मानदेय एकमुश्त	यात्रा भत्ता
1.	शास्त्रीय गायन/ शास्त्रीय वादन/ सुगम संगीत/ शास्त्रीय नृत्य एकल एवं समूह/ नृत्य नाटिका अन्य विशिष्ट पुरस्कार	उ 0प्र0 संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत एवं अन्य राज्यों के सर्वोच्च कला पुरस्कारों से पुरस्कृत कलाकार/बेगम अख्तर पुरस्कार प्राप्त कलाकार/टॉप ग्रेड श्रेणी (ए.आई.आर./ डी.डी.)	05-07	70,000/-	दल प्रमुख-प्रथम श्रेणी रेल ए.सी. का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष एयर इकोनॉमी किराया अनुमन्य। अन्य- द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		बिस्मिल्ला खाँ युवा पुरस्कार एवं अन्य राज्य स्तरीय शासकीय पुरस्कार व ए ग्रेड (ए0आई0आर0/डी0डी0)	05-07	55,000/-	दल प्रमुख-द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य। अन्य- तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		बी अथवा बी हाई ग्रेड श्रेणी (ए.आई.आर./डी.डी.)	05-07	45,000/-	तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		गैर श्रेणीगत / अन्य कलाकार	05-07	30,000/- से 40,000/-	तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
2.	लोक गायन एवं लोक वादन	उ 0प्र0 संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत एवं अन्य राज्यों के सर्वोच्च कला पुरस्कारों से पुरस्कृत कलाकार/ बेगम अख्तर पुरस्कार प्राप्त कलाकार/टॉप ग्रेड श्रेणी (ए.आई.आर. /डी.डी.)	05-07	70,000/-	दल प्रमुख-प्रथम श्रेणी रेल ए.सी. का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष एयर इकोनॉमी किराया अनुमन्य। अन्य- द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष

					• भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		बिस्मिल्ला खाँ युवा पुरस्कार एवं अन्य राज्य स्तरीय शासकीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार।	05-07	55,000/-	दल प्रमुख-द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य। अन्य- तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		बी अथवा बी हाई ग्रेड श्रेणी (ए.आई.आर./ डी.डी.)	05-07	45,000/-	दल प्रमुख-द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी./एयर इकोनॉमी श्रेणी का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य। अन्य- तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		गैर श्रेणीगत / अन्य कलाकार	05-07	30,000/- से 40,000/-	दल प्रमुख- तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष अन्य- शयनयान श्रेणी अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
3.	लोकनृत्य	केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत एवं अन्य राज्यों के सर्वोच्च कला पुरस्कारों से पुरस्कृत कलाकार/ बेगम अख्तर पुरस्कार प्राप्त अथवा प्रदेश स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित कलाकार/टॉप ग्रेड श्रेणी (डी.डी.)	12-15	75,000/-	दल प्रमुख-प्रथम श्रेणी रेल ए.सी. का वास्तविक किराया अथवा एयर इकोनॉमी श्रेणी का वास्तविक किराया अन्य- द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत कलाकार/बिस्मिला खां युवा पुरस्कार प्राप्त अथवा अन्य राज्यों के सर्वोच्च कला पुरस्कार प्राप्त कलाकार अथवा प्रदेश स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित कलाकार एवं ए-ग्रेड श्रेणी (डी.डी.)	12-15	60,000/-	दल प्रमुख-द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य-तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		बी अथवा बी हाई ग्रेड श्रेणी (डी.डी.) एवं अन्य शासकीय पुरस्कारों के दृष्टिगत	12-15	50,000/-	दल प्रमुख-द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य-तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।

				प्रदर्शन रु0 5,000/- अनुमन्य होंगे)	
9.	विशिष्ट श्रेणी	शास्त्रीय संगीत/ नृत्य/ नाट्य/वादन/ सुगम-संगीत / लोक संगीत , नृत्य एवं लोक नाट्य कलाकार दल एवं संस्थान द्वारा जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपनी एक विशिष्ट पहचान अर्जित की हो।	7-15	1,00,000/- से 2,00,000/-	दल प्रमुख-प्रथम श्रेणी रेल ए.सी./एयर इकोनॉमी श्रेणी का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य-द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
10	अतिविशिष्ट श्रेणी	ऐसे विशिष्ट कलाकार जिन्होंने पद्म पुरस्कार/केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार/राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एवं उसके समकक्ष राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त साथ ही कला क्षेत्र व सिनेमा क्षेत्र के जन-जन में लोकप्रिय कलाकार जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई हो।	07-15	2,00,000/- से 5,00,000/-	वास्तविक रेल टिकट ए.सी. अथवा एयर इकोनॉमी श्रेणी का किराया अनुमन्य अथवा उसके समकक्ष तथा आवश्यक होने पर टैक्सी का अपटूर्स की दरों पर किराया देय। • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
11.	एकल कला प्रदर्शन	ऐसे कलाकार जो स्वयं के स्तर पर एकल प्रदर्शन करते हो जैसे-शंख वादन , ढोल वादन, नगाढ़ा वादन, नक्कारा वादन, रणसिंघा वादन मंत्रोच्चारण आदि			तृतीय श्रेणी रेल ए.सी./ शयनयान श्रेणी अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		स्थानीय कार्यक्रम	01-02	5,000/-	
		प्रादेशिक कार्यक्रम	01-02	10,000/-	
		राष्ट्रीय/विशिष्ट कार्यक्रम	01-02	20,000/-	
12.	उदघोषक/एंकर	स्थानीय कार्यक्रम	01	5,000/-	तृतीय श्रेणी रेल ए.सी./ शयनयान श्रेणी अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		प्रादेशिक कार्यक्रम	01	10,000/-	
		राष्ट्रीय/विशिष्ट कार्यक्रम	01	20,000/-	तृतीय/द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।

नोटः-

(1) यदि उच्च स्तरीय निर्देशों के अनुक्रम में उपरोक्त श्रेणियों के अतिरिक्त फिल्म/ कला/ साहित्य जगत से जुड़े अतिविशिष्ट/ ख्यातिलब्ध कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है, तो निर्देशों के अनुपालन में आयोजित

एवं प्रायोजित कार्यक्रमों हेतु गठित समिति की संस्तुति पर उच्च स्तरीय बैठक तथा शासन स्तर से स्वीकृति के पश्चात ही उनके मानदेय का निर्धारण किया जायेगा।

(2) यदि उपर्युक्त उल्लिखित श्रेणी/पुरस्कार प्राप्त कलाकार के साथ कोई संगतकार भी समकक्ष श्रेणी पुरस्कार प्राप्त है, तो उनके मानदेय पर उच्च सतर से अलग से विचार किया जा सकता है।

(3) क्रमांक- 01 से 07 तक निर्धारित कलाकारों की संख्या से अधिक कलाकार बढ़ने पर मूल मानदेय का 10 प्रतिशत प्रति कलाकार अधिकतम अनुमन्य होगा।

(4) उपर्युक्त उल्लिखित मानदेय अधिकतम है, आवश्यक होने पर निगोशिएशन के आधार पर अधिकतम से कम एक मुश्त मानदेय निर्धारित किया जा सकता है।

(5) अतिविशिष्ट एवं ख्यातिलब्ध कलाकारों के आवास, भोजन एवं स्थानीय परिवहन की व्यवस्था आयोजक द्वारा की जायेगी।

(6) यदि कलाकार अपरिहार्य परिस्थितियों में अल्पावधि/तात्कालिक सूचना पर बुलाया गया है तो उसे अपटूर्स की दरों पर टैक्सी का किराया अनुमन्य होगा।

(7) कलाकारों/ लोक कलाकारों/ रामलीला दल/ नौटंकी दल/ लोकनृत्य/ नाट्य दल/ कठपुतली/ जादू/ नुक्कड़ नाटक आदि के कलाकारों को स्थानीय आवास रू0 900/- एवं भोजन रू0 500/- अर्थात कुल धनराशि रू0 1400/- प्रतिदिन प्रति कलाकार को देय होगी। यदि विभाग द्वारा आवास एवं भोजन की व्यवस्था की जाती है तो कोई भी अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

(8) 12 घण्टे से अधिक की यात्रा पर भोजन भत्ता रु0 500/- देय होगा। यदि विभाग द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाती है तो कोई भी अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

(9) स्थानीय एवं बाह्य प्रस्तुतियों के लिए एक समान मानदेय निर्धारित है, किन्तु प्रदेश के बाहर प्रस्तुति के लिए जाने पर मूल मानदेय से 20 प्रतिशत अधिक मानदेय पर विचार किया जा सकता है। स्थानीय का आशय संबंधित कलाकार के निवास स्थान से होगा।

(10) वृद्ध/ विकलांग कलाकारों के साथ आने वाले एक सहयोगी को उन्हीं की अनुमन्य श्रेणी का किराया देय होगा।

(11) एक ही दल के द्वारा एक से अधिक प्रस्तुति करने पर निर्धारित मानदेय का 50 प्रतिशत प्रति प्रस्तुति देय होगा।

(12) यदि उपरोक्त से भिन्न मानदेय/किराया अपेक्षित हो तो प्रस्ताव पर शासन/ सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(13) उपरोक्त व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु त्रैमासिक रूप से संस्कृति निदेशालय द्वारा शासन स्तर से अनुमोदनोपरान्त धनराशि रू0 30,00,000/- लोक एवं जनजाति कला संस्कृति संस्थान में लोक कलाकारों हेतु तथा शास्त्रीय एवं अन्य विशिष्ट कलाकारों हेतु धनराशि रू0 30,00,000/- संगीत नाटक अकादमी के खाते में रखा जाना प्रस्तावित है।

(14) प्रस्तुति हेतु कलाकार आमंत्रित किये जाने पर 50 प्रतिशत धनराशि अग्रिम आर0टी0जी0एस0/ एन0ई0एफ0टी0 अथवा नेट बैंकिंग के द्वारा कलाकार के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कार्यक्रम प्रस्तुति के उपरान्त उसी दिन चेक/ड्राफ्ट किया जाना होगा।

(15) यदि कोई कलाकार 50 प्रतिशत अग्रिम धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त कार्यक्रम प्रस्तुति हेतु आने में असमर्थता प्रकट करता है तो ऐसी स्थिति में कलाकार को अग्रिम दी गयी धनराशि को आने वाले अगले कार्यक्रम में समायोजित कर लिया जायेगा।

(16) यदि कोई कलाकार लगातार तीन बार अग्रिम राशि लेने के उपरान्त प्रस्तुति हेतु असमर्थता प्रकट करता है, तो उसे संस्कृति विभाग में प्रस्तुति हेतु ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा एवं उपलब्ध करायी गयी अग्रिम धनराशि पर 18.5 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ वसूली की जायेगी।

(17) किसी एक कलाकार को एक वित्तीय वर्ष में सामान्यतः तीन बार से अधिक आयोजित-प्रायोजित कार्यक्रमों में अनुबन्धित नहीं किया जायेगा। यह नियम संस्कृति विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त इकाईयों पर लागू होगा।तीन कार्यक्रम की गणना संस्कृति विभाग के सभी निदेशालयों/इकाईयों के कार्यक्रमों को जोड़

		गैर श्रेणीगत/अन्य कलाकार	12-15	30,000/- से 40,000/-	दल प्रमुख- तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष अन्य- शयनयान श्रेणी अथवा समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होग।
4.	शास्त्रीय एकल नृत्य रिकार्डेड /एकल नाटक , मूकाभिनय, बहरूपिया आदि	उ 0प्र0 संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत एवं अन्य राज्यों के सर्वोच्च कला पुरस्कारों से पुरस्कृत कलाकार/ बेगम अख्तर पुरस्कार उ0प्र0 प्राप्त कलाकार /टॉप ग्रेड श्रेणी (ए. आई.आर./ डी.डी.)	03-05	50,000/-	दल प्रमुख-प्रथम श्रेणी रेल ए.सी./इकोनाॅमी श्रेणी एयर का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य। अन्य- द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होग।
		ए ग्रेड श्रेणी (डी0डी0)/ बिस्मिल्ला खाँ युवा पुरस्कार से पुरस्कृत कलाकार।	03-05	45,000/-	दल प्रमुख- द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य-तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होग।
		बी अथवा बी हाई ग्रेड श्रेणी (डी.डी.) तथा अन्य शासकीय पुरस्कार के दृष्टिगत	03-05	40,000/-	तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होग।
		गैर श्रेणीगत/अन्य कलाकार	03-05	30,000/- से 40,000/-	तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होग।
5.	नाटक	केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी / उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार/ अन्य प्रदेशों के सर्वोच्च कला पुरस्कार प्राप्त टॉप ग्रेड श्रेणी (ए.आई.आर./डी.डी.) निर्देशक कृत नाट्य प्रस्तुति।	15-20	1,00,000/-	दल प्रमुख- प्रथम श्रेणी रेल ए.सी./ एयर इकोनॉमी श्रेणी का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य-द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से पुरस्कृत तथा अन्य प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त/ए ग्रेड (ए.आई.आर./डी.डी) निर्देशक कृत नाट्य प्रस्तुति	15-20	75,000/-	दल प्रमुख- द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी./एयर इकोनॉमी श्रेणी का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य-तृतीय श्रेणी रेलए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		बी अथवा बी हाई ग्रेड श्रेणी (ए.आई.आर./ डी.डी) एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतेन्दु नाट्य अकादमी एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षित कलाकार/ निर्देशक कृत नाट्य प्रस्तुति	15-20	60,000/-	दल प्रमुख- तृतीय श्रेणी रेल ए.सी./ एयर इकोनॉमी श्रेणी का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य-तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होग।

		गैर श्रेणीगत/अन्य कलाकार	10-25	50,000/-	दल प्रमुख-तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष अन्य- शयनयान श्रेणी अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
6.	कठपुतली/जादू/लुप्तप्राय कला प्रस्तुतियां(एकमुश्त)	उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत एवं अन्य राज्यों के सर्वोच्च कला पुरस्कारों से पुरस्कृत कलाकार/ बेगम अख्तर पुरस्कार उ0प्र0 प्राप्त कलाकार/ टॉप ग्रेड श्रेणी (ए.आई.आर./ डी.डी.)	06-10	70,000/-	दल प्रमुख-प्रथम श्रेणी रेल ए.सी./ इकोनॉमी श्रेणी एयर का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य- द्वितीय श्रेणी रेलए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		राज्य स्तरीय एवं अन्य शासकीय पुरस्कार	06-10	55,000 /-	दल प्रमुख-द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी./ इकोनॉमी श्रेणी एयर का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य- तृतीय श्रेणी रेलए.सी. अथवा उसके समकक्ष भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा ।
		गैर श्रेणीगत /अन्य कलाकार	06-10	15,000/- से 30,000/-	तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
7.	रामलीला/ रासलीला/ नौटंकी/ स्वांग/भगत एवं अन्य लोक नाट्य	केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत एवं अन्य राज्यों के सर्वोच्च कला पुरस्कारों से पुरस्कृत कलाकार/ बेगम अख्तर पुरस्कार उ0प्र0 प्राप्त कलाकार/टॉप ग्रेड श्रेणी (ए.आई. आर./ डी.डी.)	20-25	1,00,000/--	दल प्रमुख- प्रथम श्रेणी रेल ए.सी. का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य-तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।
		उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत एवं बिस्मिला खां युवा पुरस्कार से सम्मानित कलाकार ए-ग्रेड श्रेणी	20-25	75,000 /-	दल प्रमुख- द्वितीय श्रेणी रेल ए.सी./एयर इकोनॉमी श्रेणी का वास्तविक किराया अथवा उसके समकक्ष अनुमन्य अन्य- तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा
		प्रदेश स्तरीय शासकीय पुरस्कारों से सम्मानित कलाकार/अनुभव के दृष्टिगत/बी अथवा बी हाई ग्रेड श्रेणी (ए.आई.आर./ डी.डी.)	20-25	60,000	तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के • अनुसार देय होगा।
8.	नुक्कड़ नाटक	कम से कम दो प्रदर्शन	10-15	15,000/- (प्रदर्शनों की संख्या बढ़ने पर प्रति	दल प्रमुख-तृतीय श्रेणी रेल ए.सी. अथवा उसके समकक्ष अन्य-शयनयान श्रेणी अथवा उसके समकक्ष • भोजन भत्ता बिन्दु सं 0-08 के अनुसार देय होगा।

कर की जायेंगी। कलाकार के उपलब्ध न होने के कारण कार्य की तात्कालिक आवश्यकता एवं गुणवत्ता के दृष्टिगत अधिक कार्यक्रम दिये जाने पर शासन स्तर से विचार किया जा सकता है।शोभायात्रा को निर्धारित संख्या में नहीं गिना जायेगा ।

(18) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रस्तुतियों में ICCR के अनुमोदित कलाकार/ ICCR के कार्यक्रम में प्रस्तुति कर चुके कलाकार एवं सरकारी विभागों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रस्तुति दे चुके कलाकारों को प्राथमिकता दी जायेगी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शासकीय प्रस्तुति की संख्या शासन के निर्देशानुसार निर्धारित की जायेगी।

(19) दूरदर्शन आकाशवाणी से श्रेणी प्राप्त कलाकार एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित प्रतिभा खोज कार्यक्रम से चयनित कलाकार तथा विभागीय गठित विशेषज्ञ समिति के माध्यम से विभाग में पंजीकृत कलाकारों को उनके ऑडीशन एवं प्रमाण पत्र आदि के आधार पर टॉप ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड , सी ग्रेड के अनुसार 04 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा।

(20) कलाकार दल श्रेणी में कलानुभव से आशय दिये जा रहे कार्यक्रम से पूर्व के कला प्रस्तुतिकरण के कम से कम 03 वर्षों के अनुभव से है ।

(21) किसी प्रकार की व्यावहारिक कठिनाई की स्थिति में शासन को संदर्भित करते हुए संबंधित कठिनाई का निराकरण किया जा सकता है।

भवदीय

मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग , उत्तर प्रदेश शासन ।
3. निदेशक, संस्कृति/संग्रहालय/पुरातत्व निदेशालय, उ0प्र0।
4. निदेशक, समस्त स्वायत्तशासी संस्थान , संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव